कोमागाटा मारु का जबरदस्त हिमायती – 'दी ट्रिब्यून'

मलविन्दर जीत सिंह वढ़ैच[1]

कोमागाटा मारु गाथा की शताब्दी मनाते हुए, इस क्षेत्र के प्रमुख अंग्रेजी समाचार पत्र 'दी ट्रिब्यून' द्वारा उस समय निभाई गई प्रशंसनीय भूमिका का शायद ही किसी को अहसास होगा।

उन्नीसवीं सदी के अंत से ही कई हिन्दी, जिनमें बहुत से सेवानिवृत्त फौजी थे, अपनी रोजी-रोटी कमाने के लिए विदेशों में जाने लग पड़े थे। फिर बीसवीं सदी के शुरु में जब कनाडा प्रवास का दरवाजा खुला, जहाँ अन्य स्थानों की अपेक्षा कहीं ज्यादा कमाई हो सकती थी, तो बहुत से लोग उधर की ओर जाने लग पड़े। परिणामस्वरूप सन् 1900 में जहाँ केवल 100 भारतीय ही कनाडा में पहुँचे थे, सन् 1907 तक उनकी संख्या बढ़कर 8000 तक जा पहुँची तथा लगभग ये सारे ही पंजाबी थे।

सन् 1908 में कनाडा की गोरी (अंग्रेज) सरकार ने कुछ गोरे कट्टरपंथी अनसरों क दबाव में आकर हिन्दियों के प्रवेश पर असीधे तौर पर रोक लगा दी गई। यह रोक इस तरह लगाई कि प्रत्येक प्रवासी पर उसकी मातृभूमि से कनाडा के लिए सीधे जहाजी सफर की शर्त लगा दी; तथा उसके तुरन्त उपरांत ही प्रत्येक प्रवासी को अपने साथ 200 डॉलर नकद लाने भी जरूरी कर दिए। वास्तव में यह सारा कुछ सिर्फ भारतवासियों के कनाडा में प्रवेश को रोकने के लिए ही था, क्योंकि उस समय भारत से कोई भी जहाज सीधा कनाडा नहीं जाता था। धीरे-धीरे नौबत यहां तक आ पहुँची कि प्रवास कर चुके भारतीयों के परिवारों पर भी ये शर्तें थोप दी गई।

इस चुनौती को स्वीकार करते हुए, इन थोपी गई शर्तों के समाधान के लिए 1911 में प्रसिद्ध कनाडियन सिख नेता (गुरद्वारा वैनकूवर के पहले ग्रंथी) भाई बलवंत सिंह (खुर्दपुर, जालन्धर) और (खालसा दीवान सोसाइटी वैनकूवर के प्रधान) भाई भाग सिंह (भिखीविंड, अमृतसर) पंजाब आए और अपने-अपने परिवारों को साथ ले जाने की कनाडा में दाखिले की याचना की; जो ठुकरा कर दी गई, जिससे हिन्दियों के हृदयों को गहरी ठेस पहुंची। उसके बाद 1913 में प्रवासी भारतीयों ने एक तीन सदस्यीय प्रतिनिधि-मंडल भेजा, जिसमें भाई बलवंत सिंह के साथ भाई नंद सिंह सीहरा (फिल्लौर, जालन्धर) और भाई नारायण सिंह शामिल थे; उन्होंने इंग्लैंड व भारत की सरकारों के साथ-साथ वहां की जनता के समक्ष अपनी दुर्दशा को ब्यान करते हुए उचित समाधान के लिए दबाव बनाने की कोशिश की। इस प्रतिनिधि-मंडल को तो दोनों सरकारों ने कोरा जवाब ही दे दिया, किन्तु इस प्रतिनिधि-मंडल द्वारा अपनी मनोव्यथा से अवगत कराने के लिए 5-6 महीनों के दौरान पंजाब में की गई अथक यात्राओं ने पंजाबियों के दिलों में खलबली मचा दी, जिसके फलस्वरूप अपनी जहाजी कंपनी व जहाज वाली मुहिम का प्रारम्भ हुआ।

मैंने (लेखक ने) जब सन् 2003 में इस कांड को राष्ट्रीय आजादी लहर के रूप में मान्यता दिलवाने के लिए पंजाब व हरियाणा हाई कोर्ट में पी.आई.एल. (जनहित याचिका) दायर की तो मैंने 'दी ट्रिब्यून' की एक संपादकी टिप्पणी को भी अपनी याचना का आधार बनाया था।

---

1 **गाँव व डाकघर सकेतड़ी, जिला पंचकुला 134001**
फोनः (0172) 2556314
ईमेलः mjswaraich29@gmail.com; फेसबुकः Malwinder Jit Singh Waraich

लगभग ग्यारह वर्ष उपरान्त, सन् 2014 में जो कोमागाटा मारु कांड का शताब्दी वर्ष था, 'दी ट्रिब्यून' की प्रसंगिक टिप्पणियों की खोज-भाल करके उनको अपनी पुस्तक 'साका कोमागाटा मारु' में प्रदर्शित करने का यत्न किया है।

इस संदर्भ में आश्चर्यचकित कर देने वाली बात यह है कि कनाडा प्रवास करने वाले हिन्दियों की हिमायत में पहला सम्पादकीय 29 अक्तूबर 1913 को छपा, जिन दिनों भाई बलवंत सिंह, भाई नारायण सिंह और नन्द सिंह सीहरा का प्रतिनिधि-मंडल अभी पंजाब के दौरे पर था, जो जनता को अपने दुखड़े सुना ही रहा था ; अतएव कनाडा के लिए सीधे जहाजी सफर की व्यवस्था के बारे में अभी चर्चा छिड़ी ही नहीं थी। उसी दौरान 'ब्रिटिश कोलम्बिया से हिन्दुओं की जबरन वापसी' के सिरलेख अधीन छपी इस टिप्पणी का मुद्दा था – '39 हिन्दी प्रवासियों की कनाडा पहुंचने पर गिरफ्तारी व वहां से निकाले जाना'। कितना सुचेत था 'दी ट्रिब्यून' का अदारा, जो कि कनाडियन सरोकारों को भी बाज़ की नजर से देख रहा था!

हुआ ऐसे था कि ये हिन्दी 27 अक्तूबर 1913 को जब ब्रिटिश कोलम्बिया की विक्टोरिया बंदरगाह पर जहाज से उतरे तो उनको कनाडा के प्रवासी महकमे ने गिरफ्तार करक वापसी का आदेश जारी कर दिया: जब उनके द्वारा अदालत में 'हेबीयस कॉरपस' (वैयक्तिक स्वतंत्रता निगम) पटीशन दायर की गई तो चीफ जस्टिस ने प्रवास महकमे की कार्रवाई को गैर-कानूनी करार देते हुए प्रवासियों की रिहाई का आदेश दे दिया था।

जिक्रयोग्य है इस आदेश के त्रंत बाद ही तार द्वारा भाई बलवंत सिंह को सूचना दे दी गई थी व इस समाचार को रंगून, पेनांग, सिंगापुर, हांगकांग और शंघाई में प्रसारित कर दिया था, जिसके परिणामस्वरूप कईयों ने कनाडा प्रवास की तैयारी कर ली थी।

लगभग 6 महीनों के उपरांत 'दी ट्रिब्यून' की संपादकी टिप्पणियों का जैसे तांता ही लग गया हो – दिनांक 29 अप्रैल, 20 मई, 29 मई, 3 जून, 6 जून, 10 जून, 19 जून, 5 जुलाई, 9 जुलाई, 11 जुलाई, 23 जुलाई व 29 जुलाई 1914 के अंकों में निरन्तर कोमागाटा मारु की पैरवी करते हुए न सिर्फ अपनी ओर से प्रवासियों की तरफदारी ही की, बल्कि समकालीन कनाडियन समाचार पत्रों के समाचारों व टिप्पणियों की छानबीन भी की थी। इन संपादकीय टिप्पणियों का सार कुछ इस प्रकार है:–

(1) 'दी ट्रिब्यून', लाहौर 29 अप्रैल 1914

400 हिन्दुस्तानी

400 हिन्दुस्तानी, जिनमें ज्यादातर सिख हैं, ने यह जानत हुए भी कि उनको जहाज से उतरने नहीं दिया जाएगा, शंघाई से वेनकूवर को रवाना होने के समाचार को इतना ध्यान नहीं दिया गया, जितना कि दिया जाना चाहिए था। कनाडियन सरकार ने प्रवास महकमे को कह दिया था कि इनको (हिन्दियों) जहाज से उतरने नहीं देना है। हिन्द सरकार की यह धारणा दिखाई देती है कि इन 400 भारतीयों ने यह जानते हुए भी कि कनाडा सरकार स्पष्ट तौर पर कह चुकी है कि हमें अतिरिक्त मजदूर-कारीगर नहीं चाहिए, फिर भी खाह-म्खाह इन्होंने झगड़ा क्यों मोल लिया है; किन्तु प्रश्नों का प्रश्न तो यह है कि हिन्दुस्तानियों के बतौर अंग्रेजी प्रजा के क्या अधिकार हैं? इन भारतीयों ने बहुत खर्चीला तथा कठिन सफर तय किया है और हम आशा करते हैं कि इनको वापिस नहीं मोड़ा जाएगा। कोई भी भेदभाव वाला कदम सरकार को मंहगा पड़ सकता है और समय आ गया है कि कनाडियन सरकार को यह 'निरन्तर सफर' वाली शर्त हटा देनी चाहिए। यह ही शर्त है जिस कारण सिखों को सरकारी विरोध का सामना

करना पड़ा है, अतएव जो लोग इन बेसहारों को ही दोष दे रहे हैं, बेशक बुझदिल हैं, जिनके अन्दर इस गुप्त तरीके द्वारा बर्तानवी सल्तनत की प्रजा को उनके परिवारों के साथ वहां जाकर साथ रहने से रोका जा रहा है, फिर भी उसकी निन्दा करने की हिम्मत नहीं रखते।

(2) 'दी ट्रिब्यून', लाहौरः बुधवार, मई 20, 1914

कनाडा में हिन्दुस्तानी

600 हिन्दुस्तानियों के ब्रिटिश कोलम्बिया की ओर को, प्रवासी कानूनों के अनुसार सीधे समुद्री जहाज द्वारा चल पड़ने के बारे में बम्बई के एक समकालीन समाचार-पत्र का विचार है कि जो हिन्दी पहले ही कनाडा में रह रहे हैं, उनके परिवारों को उतरने के लिए विशेष छूट दी जाए, किन्तु हमारे विचार अनुसार इसके साथ मसला का हल नहीं होगा, अतएव कनाडा में रहते हिन्दी अपने पत्नी-बच्चों के दाखले के साथ ही सन्तुष्ट नहीं होंगे।

(3) 'दी ट्रिब्यून', लाहौरः शुक्रवार, मई 29, 1914

(एक अंग्रेजी समाचार पत्र 'दी इंगलिशमैन' के संदर्भ से)

प्रवासी मसला

600 पंजाबियों के कनाडा में जबरदस्ती दाखिल होने के साहसी यत्न के मुद्दे पर यह (अखबार) स्वोकार करता है कि बर्तानवी सरकार (Imperial Government) हिन्दियों के कनाडा में प्रवास का मसला हल करने में असफल हो गई है। समाचार-पत्र की राय के अनुसार – "नव-बस्तियों (कनाडा) की सरकारों द्वारा प्रवासियों पर बगैर सिर-पाँव/सोचे-विचारे सीधे सफर जैसी शर्तें लगाने के साथ मसला हल नहीं होगा, बल्कि सिर्फ कनाडा सरकार को कह-कहाकर 600 यात्रियों के लिए कनाडियन सरकार से उनके उतरने की इजाजत मिलने के साथ ही होना है।" समाचार-पत्र के अनुसार जरूरत तो इस बात की है कि एक शाही कमिशन को शीघ्र यह कार्य सौंपा जाए, जो यह स्पष्ट करे कि अंग्रेजी सल्तनत के कौन से देश में भारतीय जाने के हकदार हैं अथवा कौन से देश में नहीं; अतएव ये कौन से स्थान पर बिना किसी रुकाबट के जा सकते हैं।

(4) 'दी ट्रिब्यून', लाहौरः बुधवार, जून 3, 1914

कनाडा में विदेशी

(नोटः 'दि ट्रिब्यून' ने इस संपादकी द्वारा भारतीयों के कनाडा में प्रवास के मामले पर लगाई गयीं निराधार रुकावटों का पर्दाफाश कर, कनाडियन सरकार की तीखी नुक्ताचीनी की है। इस टिप्पणी की पृष्ठभूमि यह है लंदन के एक समाचार-पत्र ने उल्लेख किया है कि कनाडा, जिसकी कुल 72 लाख आबादी में सबसे अधिक अंग्रेज, कुछ फ्रांसीसी व भारतीय केवल 2342 ही थे। – लेखक)

'दी ट्रिब्यून' के अनुसार, यदि मान भी लिया जाए कि भारतीयों की संख्या 8-9 हजार हो भी गई है तो भी यह अन्य देशों की अपेक्षा मामूली है, जिनकी बर्तानवी सल्तनत के प्रति वफादारी नाममात्र भी नहीं। और तो और एशिया में से भी भारतीय की तुलना में चीनी और जापानी कितनी गुणा अधिक संख्या में हैं।

हमारा बर्तानवी प्रजा के रूप में कहीं भी साख नहीं। इसलिए प्रत्येक पंजाबी का कर्त्तव्य बनाता है कि पंजाब के महान सपूत सरदार गुरदित्त सिंह की, जो अपना सब कुछ दाव पर लगाकर, बतौर बर्तानवी प्रजा हमारे जन्म-सिद्ध अधिकारों की प्राप्ति के लिए मैदान में कूदा है उसकी डटकर हिमायत करें।

(5) 'दी ट्रिब्यून', लाहौर: शनिवार, जून 6, 1914

कनाडा में संकट

लगता है कनाडा सरकार ने यह प्रण कर लिया है कि कोमागाटा मारु के एक भी यात्री को उतरने नहीं देना है, चाहे वह किसी भी तरह का सबूत पेश क्यों न करे। यह भी अंदेशा है कि शायद जहाज को वापस हांग-कांग भेज दिया जाए। दूसरी ओर यात्री भी उखड़े-उखड़े से हैं और उनमें कई खतरनाक मूड़ में है। इस 'खतरनाक मूड़' का क्या मतलब है, हम इस समय कुछ कहने की स्थिति में नहीं हैं। जहां तक वापसी की 'संभावना' का प्रश्न है, सरदार गुरदित्त सिंह ने पहले दिन से ही इसे नजरअंदाज नहीं किया था, जिस दिन उसने हमारी बर्तानवी प्रजा की हैसियत में अपने अधिकारों को परखने के लिए कमर कसी थी। किन्तु इस परिस्थिति में वह क्या करने जा रहा है, वह खास महत्व नहीं रखता। अत: हम सब पंजाबियों को हर हालात में सरदार गुरदित्त सिंह के इस साहस भरे संघर्ष में पूर्ण दिल से उनका समर्थन करना चाहिए।

(6) 'दी ट्रिब्यून', लाहौर: बुधवार, 10 जून 1914

600 भारतियों की किस्मत

हमारे लिए यह समझ सकना बहुत कठिन है कि कनाडा सरकार, सुप्रीम कोर्ट द्वारा 'अपवर्जन' (Exclusion) के विरुद्ध फैसले के बावजूद कैसे भारतीयों के दाखिले को रोकना उचित ठहरा रही है। लार्ड जस्टिस हंटर द्वारा इस बारे किए गए फैसले के बाद कानून में कोई शोध नहीं की गई, अत: वह फैसला आज भी कानूनी रुतबा रखता है व मौजूदा सरकार का कोई भी कार्यकारी उसकी उल्लघना नहीं कर सकता; और फिर उक्त अदालती फैसला ऐसे यात्रियों को केवल तीन महीने ठहरने की ही आज्ञा देता है, जिस दौरान वे स्थाई प्रवास के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, किन्तु किसी हालात में भी उनको दो-टुक इन्कार कर देना प्रवास कानून की घोर उल्लघना है। अत: कनाडियन सरकार द्वारा यात्रियों को उतरने की आज्ञा देकर स्थाई प्रवास के लिए कानूनी कार्रवाई का मौका दे देना चाहिए।

(7) 'दी ट्रिब्यून', लाहौर: शुक्रवार, 19 जून 1914

कनाडा में पंजाबी

हमें यह जानकर खुशी होगी कि पंजाब हिन्दु सभा ने, जिसके प्रधान सर पी.सी. चैटर्जी हैं, कनाडा के प्रधानमंत्री को एक तार भेजी है, जिसका विषय है – "पंजाब हिन्दु सभा 600 हिन्दी यात्रियों के प्रवेश की आज्ञा न दिए जाने के विरुद्ध गहरा रोष व्यक्त करती है।"

वैसे तो सभा को इस मामले में पहली पंक्ति में होना चाहिए था, किन्तु लगता है कि इसको कुम्भकरनी नींद में से जनतक सभाओं, सिंह सभाओं और सिख दीवान की ओर से पास किए गए प्रस्तावों ने जगाया है। हम आशा करते हैं कि सभा ने इस तार की परतें हिन्द सरकार और लंदन सरकार के सचिव आफ स्टेट फार इंडिया को भी भेजी होगी।

(8) 'दी ट्रिब्यून', लाहौर: रविवार, 5 जुलाई 1914

सम्पादकीय

टोरांटो – कनाडा से एक पत्रकार ने वहां के दो-तीन समाचार-पत्रों द्वारा भारतीयों के अधिकारों संबंधी की गई टिप्पणियों का खुलासा किया है जिनकी राय में अंग्रेजी साम्राज्य (Empire) की सलामती के लिए उसकी सारी प्रजा (Subjects) को समूचे साम्राज्य में

घूमने-फिरने की आजादी का अधिकार होना जरूरी है, किन्तु अंग्रेजों के अधीन मुल्कों (Dominions) को प्रवास पर पाबंदियां लगाने से नहीं रोका जा सकता व पश्चिमी तट (Pacific Coast) की ओर एशियाइयों (Asiatics) के आ रहे समूहों को रोकना ही पड़ेगा, जबकि यह सोच कुछेक शरारती तत्वों की ही है न कि समूची कनाडियन जनता की, जैसे कि वहां दर्शाई गई टिप्पणियों से व्यक्त होता है।

(9) 'दी ट्रिब्यून', लाहौर: वीरवार, 09 जुलाई 1914

हेबीयस कॉरपस पटीशन खारिज

विक्टोरिया (बी.सी.) से तार आई है कि कोमागाटा मारु वाली हेबीयस कॉरपस पटीशन खारिज हो गई है। अदालत ने इसको खारिज करते हुए कहा है कि "ब्रिटिश नार्थ अमेरिका एक्ट द्वारा कनाडा सरकार को पूरा अधिकार है कि वह अंग्रेजी सल्तनत के किसी भी प्रवासी के प्रवेश पर रोक लगा सकती है, चाहे वह प्रवासी (यू.के.) इंग्लैंड का ही क्यों न हो।" बेशक यह फैसला दाखिला निषेध (Exclusionists) के लिए बड़ी खुशखबरी होगा व उनको यह कहने का 'देखो जी, हम तो पहले ही कहते थे', "सुनहरा मौका" भी होगा, किन्तु बर्तानवी सल्तनत की प्रजा के लिए यह बड़ा झटका ही है; अब तो फिर ले-देकर उनका सहारा, भारत और अंग्रेजी सरकारों पर ही है कि वे उनके पक्ष में भुगतते हुए इस मामले में उनकी मुसीबत का निवारण करें।

(10) 'दी ट्रिब्यून', लाहौर: शनिवार, 11 जुलाई 1914

गुरदित्त सिंह की ना-कामयाबी

हमारी समझ अनुसार कनाडा की सुप्रीम अदालत में गुरदित्त सिंह द्वारा दायर की गई अपील के खारिज हो जाने पर सरदार गुरदित्त सिंह घबराया नहीं। याद रखने वाली बात यह है कि उसने यह खर्चीली मुहिम यह परखने के लिए ही आरम्भ की थी कि ले-देकर बर्तानवी हुकूमत की प्रजा की हैसियत में बतानवी नव-आबादियों में हमारी क्या साख है? जब उनका जहाज बी.सी. के तट पर पहुँचने वाला था तो उसने खुलेआम कहा था कि हम तो यह आजमाने आए हैं कि हमारी क्या औकात है। एक-दो भारतीयों के आगमन को रोकने पर यह यकीन के साथ नहीं कहा जा सकता था, जबकि बर्तानोया की हिन्दी प्रजा के यहां से 300 हिन्दियों को, उनकी सभी दलीलों को सुनने के बाद भी उतरने नहीं दिया जाता तो स्थिति पूरी तरह स्पष्ट हो जाएगी; अपनी हैसियत का अनुभव भी तो कुछ अहिमीयत रखता है, जिस आधार पर हम यह निर्णय कर सकेंगे कि आखिर सरकारों का यह व्यवहार कहाँ तक उचित था?

(11) 'दी ट्रिब्यून', लाहौर: मंगलवार, 23 जुलाई 1914

सम्पादकीय

हमें लायलपुर के 'खालसा' समाचार-पत्र से वेनकूवर में कोमागाटा मारु पर 'आधी रात को हथियारबंद पुलिस के नाकाम हमले' की सूचना मिली है; यद्यपि यह पता नहीं लग सका कि कितने यात्रो मरे अथवा कितने जख्मी हुए हैं। यह बहुत ही निन्दनीय घटना है। पता नहीं इस तरह के कठोर कार्य की क्या मजबूरी थी, किन्तु हमारी समझ अनुसार शक्ति का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए था। फर्ज करो (जैसे कहा जा रहा है) कि जहाज के वहाँ आगमन को कनाडा सरकार ने चुनौती समझ लिया होगा तो भी यात्रियों ने तो सच्चे दिलों अंग्रेजी सरकार के 1858 वाली इस घोषणा का सहारा लेकर ही ऐसा किया है जिस द्वारा

अंग्रेजी राज की सारी प्रजा को उसके राज अधीन किसी भी देश में बराबर के अधिकार हासिल होंगे; दूसरी ओर यदि चीनी और जापानी अंगंजी बस्तियों में प्रवास कर सकते हैं तो फिर हिन्दियों को क्यों निकाला जा रहा है!

(12) 'दी ट्रिब्यून', लाहौर: सोमवार, 29 जुलाई 1914

सम्पादकीय

इस सम्पादकीय में कुछ ऐंग्लो-इंडियन समाचार-पत्रों द्वारा बज बज कांड के बारे में एक गुमराह करने वाले दुष्ट प्रचार का सख्त संज्ञान लेते हुए तथा यात्रियों की तरफदारी करते हुए भरोसा जताया गया है कि सरकार ऐसे अनसरों के प्रचार को नजरअंदाज करते हुए बाकी बचे यात्रियों के प्रति हमदर्दी वाला व्यवहार करेगी: एक ऐंग्लो-इंडियन समाचार-पत्र, जिसने यात्रियों पर राजद्रोही षड्यंत्र होने की तरफ संकेत किया था, उसके जवाब में लिखा हुआ है कि "क्या बाबा गुरदित्त सिंह जैसों पर, जो कि अंग्रेजी राज्य की वफादारी का वचन जताकर कनाडा में प्रवास के लिए, अंग्रेजी साम्राज्य की सारी जनता की तरह कनाडा में दाखले की याचना कर रहे हैं, क्या उनकी नीयत पर शक किया जा सकता है?"

अंतत: इस लेखक की परपक धारणा है कि कोमागाटा मारु के संदर्भ में उसके बहादुर यात्रियों के साथ-साथ सरदार हरचन्द लायलपुरी जैसे देश-भक्तों का संघर्ष अमर रहेगा, वहां सरकार के हिमायती समझे जाते इस समकालीन समाचार-पत्र द्वारा निभाई गई निडर भूमिका को भी भुलाया नहीं जा सकेगा।

.....